ELEVATION - B

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING GH-4 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

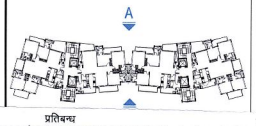

प्रतिबन्ध

1 राज्य पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुरूप व्यवस्थापन विभाग की अगणतिथि शीघ्र प्रभाव न करने एवं लेखन लेख के सम्बन्ध में अनुपालन न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2 भू-स्वामित्व तथा भूमि क्रय-विक्रय से सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता संयंत्र छवी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के लिए प्रस्तावित नक्शा का स्वामित्व द्वारा प्रभाव की भूमि व अन्य जो भूमि होगी के अलावा विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उक्त भाग का पुनर्धारण/अभिप्रमाण/भूमि अन्य की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
3 प्रस्तावित शासनादेश के क्रम में तीन्ध स्कीम्स पास के अनुसार दुरारोपण अनिवार्य होगा।
4 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प रोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
5 तीन्ध स्कीमिंग पास न साथिक्त पास के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
6 पुलिस अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
7 सूचित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8 निम्नतर इनसिंगर एवं सीवर सीटर विस्तर का स्थल पर अभिप्रमाण शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9 पेय एक्ट, लेबर एक्ट व नेशनल बोर्डो कोड का अनुपालन करना होगा, तथा लेबर सेस से सम्बन्धित शुल्क जमा करवाने प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होगा।
10 स्थल पर सामाजिक कल्प से विकासांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं सामाजिक सुविधाओं का विकास करना होगा।
11 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।
12 संशोधित नक्शा मानचित्र हेतु अग्निशमन विभाग की संशोधित अगणतिथि शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी
13 भूमि नगर एवं ग्राम नियोजक, उदय संचालक द्वारा यदि उसे एवं अधिकार प्रभु करना होगा।
14 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यदि भारतीय उच्चतर प्रदेश भवन बिल्डिंग और निर्माण अधिनियम 1972 की धारा 13 के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया जाता है कि विकास प्राधिकरण को निरंतर स्वामित्व में लिए बिना काम नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
पत्रांक संख्या 42162
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दि० 20-07-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

TOWER-1 & 2
ELEVATION-B

SCALE	1:100	DATE	27-09-16
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

SIKKA ASSOCIATES ARCHITECTS

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344668

ARCHITECT:	OWNER:
AR. SAURABH GUPTA COA Reg No.-CA/2008/42317	(अनवर रिजवी) निदेशक मे० एसएस डेवलपर्स

D NO.	GH-4-07	S NO.	07/13